संख्या-153/2017/2747/26-3-2017-4(27)/2013

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-9196/2017 प्रमोद महाविद्यालय, महरारा, हाथरस बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-01.03.2017 एवं अवमानना याचिका संख्या-2739/2017 में पारित आदेश दिनांक-06.07.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-135/2017/आर-2364/26-3-2017-4(27)/2013, दिनांक-01.09.2017 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत याचिका/अवमानना याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-01.03.2017/06.07.2017 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित/अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय पायी गयी धनराशि कुल रूपया-42,23,688.00 (रूपया बयालिस लाख तेईस हजार छः सौ अट्ठासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 की सुसंगत लेखाशीर्षक में योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय, समाज कल्याण, जिलाधिकारी, हाथरस, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस एवं मण्डलायुक्त कार्यालय, अलीगढ़ से प्राप्त आख्यानुसार याची महाविद्यालय में दो वर्षों से छात्र प्रवेश नहीं ले रहे हैं। महाविद्यालय बन्द है तथा शिक्षा/पठन-पाठन का कार्य संचालित नहीं है। जांच/सत्यापन के दौरान महाविद्यालय में कोई भी लिपिकीय स्टाफ अथवा प्रबन्धक/प्राचार्य न होने के कारण सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त नहीं हुये हैं। विद्यालय की इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में यदि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-42.23688 लाख का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भुगतान किया जाता है तो शासकीय धनराशि के गबन की सम्भावना है। अतएव उपरोक्तके दृष्टिगत सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-135/2017/आर-2364/26-3-2017-4(27)/2013, दिनांक-01.09.2017 द्वारा निर्गत किये गये वित्तीय स्वीकृति के आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनु सचिव

पृ0संख्या-153/2017/आर-2747(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हाथरस।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।